न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

विविध वाद सं0–23/2022–23

कमांक एवं तिथि	सुरेश गंझु बनाम सतेंद्र सिंह, राजेन्द्र सिंह	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

:–आदेशः–

प्रस्तुत अभिलेख का संधारण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–33 दिनांक–12.01.2023 से विविध अपील वाद सं0 137/2020–21 (कैलाश गंझु वगै0 बनाम रामजनम यादव एवं अन्य) में दिनांक–10.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में किया गया है।

अंचल अधिकारी कुन्दा द्वारा दिनांक–24.07.2020 को कुल 12 रैयतों की सुनवाई के उपरांत सभी राजस्व कागजातों का उल्लेख करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा को भेजा गया था।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा द्वारा विविध अपील वाद सं0 137/2020–21 में पारित आदेश निम्नवत है " उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस वाद में विधि सम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है। संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए भूमि से संबंधित कागजातों में से (खतियान रजिस्टर ॥ एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए आदेश विधि सम्मत पारित करना सुनिश्चित करेगे, संबंधित रैयतो के लिए अलग अलग अभिलेख संधारित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अंचल अधिकारी, कुन्दा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

उक्त आदेश के आलोक में सभी रैयतो के नाम से अलग अलग अभिलेख संधारित कर संबंधित पक्षों को मुल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला के उपरांत संबंधित पक्षकार उपस्थित हुए और कागजातो की छायाप्रति दाखिल किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्नगत भूमि मौजा कुशुम्भा के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 88 रकवा 4.00 ए0 है।

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में खाता सं0 01 गैरमजरूआ खास है। प्लॉट सं0 88 का कुल रकवा 35.70 ए0 है जिसका किस्म जंगल दर्ज है।

आवेदक सुरेश गंझु द्वारा सुनवाई के क्रम में बतलाया गया कि उनके चाचा एतवल गंझु के नाम से भुदान पर्चा द्वारा प्रश्नगत भूमि प्राप्त है। भुदान पर्चा में खाता अंकित नही है।

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन पंजी II की सत्यापित प्रति में Cancelled लिखा हुआ है। पंजी II में प्रथम रसीद का उल्लेख वर्ष 1971 में किया गया है, वर्ष 1971 के पश्चात वर्ष 2005, 2009, 2011 एवं 2013 में निर्गत रसीद का उल्लेख है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के हस्ताक्षर से निर्गत फार्म M दाखिल किया गया है। जो वर्ष 1970 में निर्गत है। वर्ष 2005, 2009, एवं 2011 में निर्गत ऑफलाईन रसीद दाखिल किया गया है। वर्ष 2022 में निर्गत ऑनलाईन रसीद दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के सत्येन्द्र सिंह द्वारा सुनवाई के क्रम में बतलाया गया कि उनके पूर्वज रामलगन सिंह को भूमि वर्ष 1942 में अनिबंधित हुकुमनामा से प्राप्त है, जिसमें खाता नं0 111 एवं खाता नं0 1 प्लॉट नं0 88 अंतर्गत 2.50 ए0 भूमि उल्लेखित है। रिर्टन दाखिल नही किया गया है।

बुझारत दाखिल किया गया है। परन्तु उसमें खाता नं0 1 प्लॉट नं0 88 अंकित है, परन्तु रैयत का नाम अंकित नही है। जमाबंदी कायम कर सरकारी रसीद निर्गत की गई है। पंजी II की सत्यापित प्रति दाखिल नही की गई है।

प्रश्नगत वाद में सत्येन्द्र सिंह का 01 ए0 एवं राजेन्द्र यादव का 01 ए0 भूमि पर दावा है।

राजेन्द्र यादव द्वारा सुनवाई के क्रम में बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला सं0 1787 दिनांक–21.05.1971 को अकल गंझु पिता– स्व0 नन्हक गंझु से खाता नं0 1 प्लॉट नं0 88 रकवा 1.35 ए0 क्रय किया गया था। अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत कर सरकारी रसीद निर्गत किया गया। इनके द्वारा प्लॉट नं0 88 में 0.75 ए0 भूमि अन्य भूमि के साथ शिवभजन यादव से क्रय किया गया था,

Scanned with OKEN Scanner

शिवभजन यादव द्वारा उक्त भूमि हुकुमनामा से प्राप्त किया गया है। खरीदगी भूमि का दाखिल खारिज स्वीकृत होकर सरकारी रसीद निर्गत किया गया। धारा 4H द0 प्र0 सं0 के तहत इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया , भुदान पर्चाधारी के वंशज प्रथम पक्ष सुरेश गंझु नही है।

सभी पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति एवं राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पषट होता है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास एवं भूमि का किस्म जंगल दर्ज है, जो प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत है।

प्रथम पक्ष का दावा भूदान पर्चा के आधार पर है, भूदान पत्र अधिनियम 1954 की धारा 11 के तहत दान पत्रों को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा संम्पुष्ट किये जाने से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नही कर पाये। प्रथम पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के हस्ताक्षर से निर्गत फार्म M दाखिल किया गया है। भूदान पर्चा से प्राप्त भूमि का लगान निर्धारण की शक्ति अंचल अधिकारी को प्राप्त नही है।

पंजी II में Cancelled लिखा हुआ है। फिर भी राजस्व उप निरीक्षक द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश से रसीद निर्गत कर दिया गया है। जो संदेहास्पद है।

सत्येन्द्र सिंह को भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है। रिर्टन दाखिल नही किया गया है। पंजी II की भी सत्यापित प्रति दाखिल नही की गई है। बुझारत में खाता प्लॉट अंकित है, परन्तु रैयत का नाम अंकित नही है। पंजी II की भी सत्यापित प्रति दाखिल नही की गई है। लगान रसीद निर्गत किया गया है।

वर्ष 1956, 62, 71, 73, 74, 75, 86, 89, 92, 2003 एवं 2013 का निर्गत रसीद समर्पित किया गया है, किसी रसीद में जमाबंदी पृ0सं0 20 तो किसी रसीद में 21 अंकित है। वर्ष 1987 का भी लगान रसीद समर्पित किया गया है।

द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र यादव को भूमि अकल गंझु से केवाला द्वारा प्राप्त है, तथा शिवभजन यादव से केवाला द्वारा भूमि हासिल है। जो CNT ACT के अंतर्गत है। शिवभजन यादव को भी हुकुमनामा से प्राप्त होने की बात बताई जा रही है। इनके द्वारा भी रिर्टन की छायाप्रति दाखिल नही किया गया है। उत्तराधिकार दाखिल खारिज के पश्चात रसीद निर्गत की गई है। राजेन्द्र यादव के पिता शिवभजन यादव से प्राप्त भूमि का

Scanned with OKEN Scanner

निबंधित विक्रय पत्र दाखिल नही किया गया है। अपने पिता से ही केवाला कराकर उत्तराधिकार दाखिल खारिज स्वीकृत कराया गया है।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा द्वारा भी राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए आदेश विधि सम्मत पारित करने का निदेश प्राप्त है।

उक्त निदेश के आलोक में झारखण्ड सरकार विभाग के पत्रांक–695 (5) रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक–2074/ रा0, दिनांक–13.05.2016 एवं पत्रांक–6144/ रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/ रा0, दिनांक–27.12.2017 के आलोक में निर्गत किये जा रहे रसीद एवं प्राप्त भूमि से संबंधित कागजातों की जांच समीक्षा/B.L.R Act 1950 की धारा 4H के तहत की गई। " जमाबंदी का प्राधिकार कॉलम सादा है, एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम हुई है यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है। प्रथम पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी बिना भूदान पर्चा के सम्पुष्टि के बगैर राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा रसीद निर्गत कर दिया गया है। एवं उसी भूमि का सत्येन्द्र सिंह के पूर्वज रामलगन सिंह के भी नाम से कायम कर दिया गया है। राजेन्द्र यादव भी उसी भूमि पर अकल गंझु से प्राप्त केवाला एवं उनके पिता शिवभजन यादव को हुकुमनामा से प्राप्त भूमि, तदोपरांत उत्तराधिकार दाखिल खारिज करा लिया गया है इससे स्पष्ट है कि एक ही जमीन पर तीनो पक्ष दावा कर रहे है। तथा यह दोहरी/तिहरी जमाबंदी कायम है।

राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि /जंगल/जंगल झाडी भूमि की नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/रा0 दिनांक–27.12.2017 से प्रतिवेदित चेक स्लिप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया, परन्तु भूमि का किस्म जंगल रहने के फलस्वरूप माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा WP(c) सं0 202/1995 से दिनांक–12.12.1996 को पारित आदेश अनुसार जंगल/ जंगल झाडी की भूमि की बंदोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0,दिनांक–12.12.2017 से भी वन भूमि जंगल/जंगल

Scanned with OKEN Scanner

(10)

झाडी को नियमितिकरण हेतु वर्जित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी संदिग्ध है, राज्य हित की क्षति कारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधने के लिए अवैध जमाबंदी कायम हुई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में B.L.R Act 1950 की धारा 4H के तहत मौजा कुशुम्भा के खाता सं0 01 प्लॉट नं0 88 रकवा 2.00 ए0 भूमि की जमाबंदी जो एतवल गंझु के नाम से 13/1 पर कायम है एवं रामलगन सिंह के नाम से 1.00 ए0 भूमि की कायम जमाबंदी पंजी II के पृ0सं0 20/1 एवं कुलवंती देवी पति–युगेश यादव, शांति देवी पति– नरेश यादव सहोदरी देवी पति– राजेन्द्र यादव के नाम से पंजी II के पृ0सं0 5/2 पर 1.00 ए0 की कायम जमाबंदी को रदद् करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

9.4.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

9.4.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.04.25 13:35:45 +05:30
Location: 192.168.184.160

Scanned with OKEN Scanner